अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकडों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	25,377.05	30,502.65	33,477.70	38,672.87	42,712.92[1]
	• कर इतर राजस्व	9,175.10	12,133.59	13,575.25	13,229.50	10,927.87[2]
	योग	**34,552.15**	**42,636.24**	**47,052.95**	**51,902.37**	**53,640.79**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	14,977.05	17,102.85	18,673.07	19,817.04	27,915.93[3]
	• सहायतार्थ अनुदान	7,481.56	7,173.92	8,744.35	19,607.50	18,728.40[4]
	योग	**22,458.61**	**24,276.77**	**27,417.42**	**39,424.54**	**46,644.33**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**57,010.76**	**66,913.01**	**74,470.37**	**91,326.91**	**1,00,285.12**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**61**	**64**	**63**	**57**	**53**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में समग्र रूप से वृद्धि रही । वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व

[1] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें ।

[2] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें ।

[3] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें । वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032- संपदा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर और 0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियों' एवं विभाजित होने वोले संघीय कर' सम्मिलित हैं ।

[4] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में (सी) शीर्ष 1601 देखें ।

(53,640.79 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत रहा । वर्ष 2015-16 में शेष 47 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी ।

1.1.2 अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में 2014-15 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट	बजट अनुमान	13,088.08	15,402.08	19,528.00	24,120.00	27,635.00	
		वास्तविक	14,665.63	17,214.34	19,834.72	22,644.89	24,878.67	(+) 9.86
	केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	401.92	1,147.92	1,522.00	1,505.00	1,615.00	
		वास्तविक	1,100.80	1,360.31	1,380.79	1,525.02	1,466.10	(-) 3.86
2	राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	2,623.00	3,250.00	4,500.00	5,330.00	6,350.00	
		वास्तविक	3,287.05	3,987.83	4,981.59	5,585.77	6,712.94	(+) 20.18
3	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	43.15	60.14	105.40	156.66	105.00	
		वास्तविक	79.40	144.27	104.59	54.27	97.45	(+) 79.57
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,577.08	2,264.97	3,268.57	2,823.35	2,785.00	
		वास्तविक	2,153.68	2,693.13	2,577.76	2,705.10	2,574.88	(-) 4.81
	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	279.77	474.89	526.03	520.00	560.00	
		वास्तविक	418.29	497.47	442.98	429.52	561.67	(+) 30.77
4	मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,650.00	1,900.00	2,500.00	2,800.00	3,300.00	
		वास्तविक	1,927.05	2,283.13	2,498.90	2,829.86	3,199.44	(+) 13.06
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	846.64	1,505.25	1,512.61	1,697.18	2,000.00	
		वास्तविक	1,094.48	1,570.06	948.93	1,534.51	1,921.29	(+) 25.21
6	भू-राजस्व	बजट अनुमान	196.06	196.06	185.51	324.69	320.00	
		वास्तविक	209.01	304.55	337.98	288.58	272.47	(-) 5.58
7	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	265.00	280.00	300.00	360.00	800.00	
		वास्तविक	220.13	248.57	287.92	956.52	847.72	(-) 11.37
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	78.74	50.99	55.00	99.99	171.79	
		वास्तविक	43.44	48.47	68.46	113.68	170.96	(+) 50.38
9	अन्य कर इत्यादि[5]	बजट अनुमान	300.00	300.00	50.00	50.17	50.20	
		वास्तविक	178.09	150.52	13.08	5.15	9.32	(+) 80.97
योग		बजट अनुमान	**21,349.44**	**26,832.30**	**34,053.12**	**39,787.04**	**45,691.99**	
		वास्तविक	**25,377.05**	**30,502.65**	**33,477.70**	**38,672.87**	**42,712.92**	**(+) 10.45**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**22.25**	**20.19**	**9.75**	**15.52**	**10.45**	

विगत पांच वर्षों में कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही । जबकि, राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कम रहा ।

[5] अन्य कर में, आय तथा व्यय पर कर, (वृत्ति पर कर, व्यापार, श्रम एवं रोजगार) तथा भूमि कर शामिल है ।

'अन्य कर' में वृद्धि (80.97 प्रतिशत) आय तथा व्यय पर कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर इत्यादि में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'मुद्रांक न्यायिक' में वृद्धि (79.57 प्रतिशत) और 'पंजीयन शुल्क' में वृद्धि (30.77 प्रतिशत), पंजीयन शुल्क में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' में वृद्धि (50.38 प्रतिशत) मनोरंजन कर में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' में वृद्धि (25.21 प्रतिशत) विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'राज्य आबकारी शुल्क' में वृद्धि (20.18 प्रतिशत) देशी प्रासव और माल्ट मदिरा की बिक्री और सेवाओं से प्राप्ति एवं सेवा शुल्क में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'मोटर वाहनों पर कर' में वृद्धि (13.06 प्रतिशत) राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण रही और 'माल एवं यात्रियों पर कर' में गिरावट (11.37 प्रतिशत) स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की कम प्राप्ति के कारण रही ।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान में वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में 2014-15 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	2,060.00	2,500.00	3,210.00	3,566.00	4,250.00	
	वास्तविक	2,366.32	2,838.59	3,088.66	3,635.46	3,782.13	(+) 4
ब्याज प्राप्तियां	बजट अनुमान	1,229.22	1,428.79	1,933.88	1,959.83	1,860.58	
	वास्तविक	1,714.53	2,067.00	2,142.49	2,065.39	1,982.39	(-) 4
विविध सामान्य सेवायें	बजट अनुमान	195.40	324.29	576.17	920.88	885.72	
	वास्तविक	353.09	686.10	846.36	963.85	700.90	(-) 27
पुलिस	बजट अनुमान	150.00	165.00	170.48	220.10	213.00	
	वास्तविक	143.54	192.07	167.27	240.03	162.02	(-) 33
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	60.99	78.88	89.94	107.19	162.44	
	वास्तविक	110.99	85.50	147.38	133.21	161.98	(+) 22
वृहद एवं मध्यम सिचांई	बजट अनुमान	69.21	122.21	90.62	90.90	112.50	
	वास्तविक	91.83	87.21	80.62	67.08	68.72	(+) 2
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	61.60	56.05	66.67	80.20	111.65	
	वास्तविक	74.95	91.24	77.52	89.31	133.75	(+) 50
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	75.75	75.75	65.00	74.76	79.51	
	वास्तविक	55.85	57.63	69.16	71.74	97.89	(+) 36
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	48.17	61.88	61.00	105.07	108.99	
	वास्तविक	59.38	96.04	65.61	116.43	119.21	(+) 2
सहकारिता	बजट अनुमान	21.12	23.65	20.42	16.52	14.52	
	वास्तविक	22.38	22.02	18.80	16.88	14.64	(-) 13
अन्य कर-इतर प्राप्तियां[6]	बजट अनुमान	2,466.69	4,114.64	6,370.23	6,327.04	4,072.75	
	वास्तविक	4,182.24	5,910.19	6,871.38	5,830.12	3,704.24	(-) 36
योग	**बजट अनुमान**	**6,438.15**	**8,951.14**	**12,654.41**	**13,468.49**	**11,871.66**	
	वास्तविक	**9,175.10**	**12,133.59**	**13,575.25**	**13,229.50**	**10,927.87**	**(-) 17.40**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**45.77**	**32.24**	**11.88**	**(-)2.55**	**(-)17.40**	

[6] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं ।

'वानिकी एवं वन्य जीवन' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (50 प्रतिशत) लकडी एवं अन्य वानिकी उत्पादों की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'सार्वजनिक निर्माण' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (36 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत प्रभार की अधिक वसूली के कारण रही; 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (22 प्रतिशत) अन्य प्राप्तियों में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'अन्य कर-इतर प्राप्तियां' में गिरावट (36 प्रतिशत) कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट और डॉलर की विनिमय दर की विभिन्नता के कारण मुख्यतः पेट्रोलियम में रही; 'पुलिस प्राप्तियों' में गिरावट (33 प्रतिशत) अन्य सरकारों को पुलिस कार्मिक कम उपलब्ध कराने के कारण रही; 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' में गिरावट (27 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में गारण्टी शुल्क में कम प्राप्ति के कारण रही और 'सहकारिता' में गिरावट (13 प्रतिशत) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से कम अनुदान प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2016 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,815.91 करोड़ थी, जिनमें से ₹ 1,911.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढोत्तरी का प्रतिशत		31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	3,731.29	4,077.56	9.28	1,592.87
2	परिवहन	63.13	53.00	(-)16.05	23.71
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	248.62	277.56	11.64	55.21
4	राज्य आबकारी	198.73	198.62	(-)0.06	195.21
5	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	189.52	209.17	10.37	44.36
योग		**4,431.29**	**4,815.91**	**8.68**	**1,911.36**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2016 को बकाया की राशि में वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक और खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में क्रमशः 9.28 प्रतिशत, 11.64 प्रतिशत और 10.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,911.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया हैं। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया था, तथापि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा कारण नहीं बताये गये (जुलाई 2016)। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राशि ₹ 32.90 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि यह न्यायिक प्राधिकरणों व न्यायालयों द्वारा जारी विभिन्न स्थगन आदेशों के अन्तर्गत आती है।

बकाया की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है ।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारण हेतु ड्यू नये प्रकरण	कुल ड्यू निर्धारण	वर्ष 2015-16 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम पांच का चार से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	1,05,815	3,84,498	4,90,313	3,17,807	1,72,506	64.82
पंजीयन एवं मुद्रांक	6,071	5,272	11,343	6,525	4,818	57.52
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	9,774	17,428	27,202	18,280	8,922	67.20

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में न्यूनतम रहा । विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम के प्रकरणों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है ।

तालिका 1.4

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2015-16 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति सहित अतिरिक्त मांग इत्यादि कायम की गयी		31 मार्च 2016 को निस्तारण हेतु बकाया प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	359	5,181	5,540	5,272	1,983.61	268

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्रकरणों में से 95.16 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था । जबकि इन प्रकरणों के निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2016) ।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2015-16 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	279	221.04	1,096	5.35
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	4,028	458.68	2,118	31.47
3	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	3,900	478.56	2,071	29.00
4	वर्ष के अंत में बकाया	407	201.16	1,143	7.82

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में धन वापसी के बकाया प्रकरणों में वृद्धि रही । सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए । यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं । निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं । कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है । गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 3,127 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,180.58 करोड़ राशि के 9,129 अनुच्छेद जून 2016 के अंत में बकाया थे । जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का

विवरण, विगत दो वर्षों के आंकडों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,896	2,932	3,127
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	9,477	8,964	9,129
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	4,592.63	3,206.77	3,180.58

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि की यथेष्ट गिरावट रही ।

1.6.1 विभागवार 30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	552	2,134	446.63
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.10
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	454	1,401	167.68
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	235	643	473.75
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,456	3,680	307.96
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	105	177	55.06
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	305	1,071	1,722.40
योग			**3,127**	**9,129**	**3,180.58**

यद्यपि, विगत वर्षों से तुलना करने पर बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उसमें सन्निहित राशि की गिरावट सराहनीय है, पर अभी भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी कमियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है । वर्ष 2015-16 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा

समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.2

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	4	9	478	63.27
2	परिवहन	2	3	56	122.63
3	भू-राजस्व	0	9	61	134.89
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	10	534	19.64
5	राज्य आबकारी	4	3	16	37.95
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	1	64	32.65
योग		**18**	**35**	**1,209**	**411.03**

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें ₹ 411.03 करोड़ राशि के 1,209 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें । सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में दर्शाया जाता है ।

49 प्रारूप अनुच्छेद इस प्रतिवेदन के 42 अनुच्छेदों में संकलित, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उनके नाम से अप्रैल से सितम्बर 2016 के मध्य में प्रेषित किये गये थे । विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा 11 प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधान सभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधान सभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिये जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए । इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 185 अनुच्छेद शामिल

थे, को राज्य विधान सभा के समक्ष 26 अप्रैल 2012 तथा 29 मार्च 2016 के मध्य प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 75 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई । जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित कुल 73 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और नौ अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच प्रतिवेदनों (2015-16 और 2016-17) में सम्मिलित किया गया ।

1.7 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुददों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया ।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 जुलाई 2016 को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अवधि 2006-07 से 2015-16 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अंत में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2006-07	525	1,279	54.54	185	636	36.49	31	122	9.29	679	1,793	81.74
2007-08	679	1,793	81.74	184	596	5.75	134	432	10.62	729	1,957	76.87
2008-09	729	1,957	76.87	193	573	10.27	147	549	19.78	775	1,981	67.36
2009-10	775	1,981	67.36	175	473	32.01	96	382	18.00	854	2,072	81.37
2010-11	854	2,072	81.37	174	605	21.52	105	326	4.56	923	2,351	98.33
2011-12	923	2,351	98.33	214	735	37.49	74	307	9.33	1,063	2,779	126.49
2012-13	1,063	2,779	126.49	182	739	99.90	53	253	26.94	1,192	3,265	199.45
2013-14	1,192	3,265	199.45	179	596	72.37	65	340	17.54	1,306	3,521	254.28
2014-15	1,306	3,521	254.28	246	800	108.27	172	705	48.69	1,380	3,616	313.86
2015-16 जुलाई 2016 तक	1,380	3,616	313.86	214	626	45.68	133	551	48.03	1,461	3,691	311.51

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है । यद्यपि, विभाग द्वारा पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये और प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रकरणों में से स्वीकार किये गये पैराओं और वसूली की स्थिति

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2015-16 के दौरान वसूली गयी राशि	स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली 30 जून 2016 तक की समेकित स्थिति
2005-06	3	4.66	3	1.26	-	0.38
2006-07	3	103.24	3	100.86	-	3.18
2007-08	6	58.36	5	4.14	-	0.90
2008-09	4	11.60	4	11.60	-	2.76
2009-10	5	27.31	4	26.90	-	0.67
2010-11	1	29.78	1	26.74	0.47	7.65
2011-12	7	6.04	6	5.91	0.03	1.98
2012-13	8	81.03	8	58.34	0.84	1.70
2013-14	10	73.10	9	28.89	5.40	5.40
2014-15	10	51.65	10	51.65	2.74	2.74
योग	**57**	**446.77**	**53**	**316.29**	**9.48**	**27.36**

विभाग द्वारा 10 वर्षों के दौरान राशि ₹ 446.77 करोड़ के 57 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 316.29 करोड़ के 53 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था, के विरूद्ध केवल ₹ 27.36 करोड़ की वसूली की जा सकी । आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 8.65 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी ।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली पर निगरानी एवं गति देने हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिश, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर तैयार की गयी है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 410 इकाईयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी । 'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लान्टों की कार्य प्रणाली' पर निष्पादन

लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'राजस्थान में खानों का आवंटन' और 'राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरण लेखापरीक्षा' भी की गयी । 'राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरण लेखापरीक्षा' के परिणाम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 391 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में 31,419 प्रकरणों में ₹ 908.63 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला । वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के निहित राशि ₹ 252.78 करोड़ के 17,293 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 128.03 करोड़ राशि के 11,972 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2015-16 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,337 प्रकरणों में ₹ 142.34 करोड़ वसूल किये ।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 272.49 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 42 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें 'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लान्टों की कार्य प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है ।

विभाग/सरकार ने ₹ 216.14 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कीं, जिनमें ₹ 5.10 करोड़ वसूल भी कर लिये गये । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये । इन सभी पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गयी है ।